न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 89/2017

अनवान

श्रीमति प्रेमलता पत्नी पारसमल जैन जाति–जैन निवासी शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर (राज0) .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर
2. श्रीमति आयशा बेगम पत्नी श्री अब्दुल सत्तार जाति–मुसलमान निवासी–मस्जिद गली बिचडली मोहल्ला, ब्यावर।
3. श्री घीसूलाल पुत्र श्री मीठूलाल जाति तेली (फौत) (वारिस अप्रार्थी सं0 04)
4. श्रीमती सोनिया देवी पत्नी श्री घीसूलाल जाति तेली
   दोनो निवासी–गोमती कोलोनी, जालिया रोड, अजगर बाबा के थान के पास, ब्यावर जिला–अजमेर।
5. तहसीलदार ब्यावर जिला–अजमेर।
6. उप पंजीयक ब्यावर जिला–अजमेर। .....अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. विभौर गौड अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 31.01.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 151 जा.दीवानी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के यहॉ विचाराधीन प्रकरण सं0 30/2004 बउनवान प्रेमलता बनाम आयशा व अन्य एवं राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 30/2005, बउनवान प्रेमलता बनाम घीसूलाल व अन्य एंव विविध प्रा.पत्र सं0 36/2014 बउनवानी प्रेमलता बनाम आयशा व अन्य जिसमें प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त प्रकरणों अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करना फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थिया सं0 2 स्वयं उपस्थित आई, आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 03 की फौत होने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अभिभाषक प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया तत्पश्चात दौराने सुनवाई अभिभाषक प्रार्थिया ने निवेदन किया कि फौत अप्रार्थी सं 03 की पत्नि अप्रार्थी संख्या 04 रेकार्ड पर मौजूद है लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किया जाता है। अभिभाषक प्रार्थिया के निवेदन पर उपस्थित को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के यहॉ राजस्व प्रकरण सं0 30/2004 बउनवान प्रेमलता बनाम आयशा व अन्य एवं राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 30/2005, बउनवान प्रेमलता बनाम घीसूलाल व अन्य एंव विविध प्रा.पत्र सं0 36/2014 बउनवानी प्रेमलता बनाम आयशा व अन्य विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर श्री पीयूष समारिया, वर्तमान में आयुक्त नगर परिषद ब्यावर भी है। इनके द्वारा एक झूठी एफ.आई. आर. पक्षकार प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 01 व अधिवक्ता प्रतिवादी व अन्य के विरूद्ध दर्ज

31/01/18
जिला कलक्टर
अजमेर

करवाई गई। वहीं श्री पीयूष समारिया, आयुक्त नगर परिषद ब्यावर व अन्य के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय में दर्ज करवाया गया जो विचाराधीन है। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी एवं उनके अभिभाषक का उनके समक्ष उपस्थित होकर पैरवी करना दुंभर हो गया है। उक्त स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी व अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी श्री पीयूष समारिया, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर से इन प्रकरणों में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा इन प्रकरणों में मनमाने आदेश कर प्रार्थी/प्रतिवादी को गंभीर क्षति कारित करने की पूरी–पूरी संभावना है। प्रार्थिया के पति द्वारा प्रस्तुत समान प्रकृति के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश श्रीमान् द्वारा दिनांक 16.11.2017 को प्रदान किया गया है। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरणों को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश न्यायहित में फरमाया जावें। अप्रार्थी सं0 02 द्वारा प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं0 02 द्वारा अप्रार्थी सं0 03 को प्रश्नगत आराजी का दिनांक 16.6.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया है। प्रार्थिया द्वारा आपत्ति प्रस्तुतकर्ता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। प्रकरण को कतई स्थानान्तरित नहीं किया जावे। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरणों में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा झूठे एवं मनघंडत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो सरसरी तौर पर ही खारिज योग्य है। फिर भी प्रकरणो को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता हैं तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। सुनवाई दौरान प्रकट तथ्यों के तहत पीठासीन अधिकारी के द्वारा आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर के कार्यभार रहने दौरान प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने वहीं पीठासीन अधिकारी व अन्य के विरूद्ध भी परस्पर फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया है। इसलिए प्राथी/अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रश्नगत प्रकरणों में पैरवी करने में असुविधा प्रतीत करने के साथ–साथ निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होना जाहिर किया है। न्याय प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये एवं किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरणों को किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है। यहॉ यह भी उल्लेखनिय है कि किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये अथवा दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करें। चूकिं पक्षकारान द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री पीयूष समारिया, आयुक्त नगर परिषद ब्यावर व अन्य के विरूद्ध दर्ज फौजदारी प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होना प्रकट करते हुए पीठासीन अधिकारी पर अविश्वास व्यक्त करते हुए उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की इस्तदुआ की गई है। पीठासीन अधिकारी ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की है। उपरोक्त तथ्यों के तहत प्रश्नगत प्रकरणों को यथावत रखना उचित नहीं होगा। अतः न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 30/2004 बउनवान प्रेमलता बनाम आयशा व अन्य एवं राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 30/2005, बउनवान प्रेमलता बनाम घीसूलाल व अन्य एंव विविध प्रा.पत्र सं0 36/2014 बउनवानी प्रेमलता बनाम आयशा व अन्य को आगामी सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर (मु0)अजमेर के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/01/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर